शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सोशल मीडिया में विज्ञापन हेतु योग्य एवं अनुभवी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी का इम्पैनलमेन्ट बाबत
ऑनलाईन रूचि की अभिव्यक्ति

निविदा सूचना क्रमांक– 236 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023

//ऑनलाईन निविदा प्रपत्र//

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रू. 2,360/– (वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रू. 1,00,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
प्री–बिड हेतु निर्धारित तिथि	दिनांक 12/05/2023 समय 12:30 बजे दोपहर
निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	दिनांक 02/06/2023 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 02/06/2023 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 02/06/2023 समय 4:00 बजे सायं तक
वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	योग्य फर्मों को पृथक से सूचित की जाएगी।

छत्तीसगढ़ संवाद

(छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छ.ग.

रायपुर फोन नं. 0771–2512510

Web :- www.samvad.cg.nic.in, Email :- cgsamvadelemedia@gmail.com

छत्तीसगढ़ संवाद

(छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छ.ग.
फोन नं. 0771–2512510

क्रमांक–236 / छ.ग.सं / सोशल मीडिया / 2023 नवा रायपुर, दिनांक : 03 / 05 / 2023

शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सोशल मीडिया में विज्ञापन हेतु योग्य एवं अनुभवी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी का इम्पैनलमेंट बाबत ऑनलाईन रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों का फेसबुक, गूगल, यू–ट्यूब, इंस्टाग्राम ट्विटर एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विज्ञापन हेतु योग्य एवं अनुभवी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसियों के इम्पैनलमेंट हेतु छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट **https://samvad.cg.nic.in** के माध्यम से ऑनलाईन रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन ई–निविदा प्रपत्र, नियम–शर्तों आदि का अवलोकन कर निविदा ऑनलाईन ही जमा किया जाना है। निर्धारित तिथि एवं शुल्क विवरण निम्नानुसार है :–

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रू. 2,360 /– (वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रू. 1,00,000 /– (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
प्री–बिड हेतु निर्धारित तिथि	दिनांक 12 / 05 / 2023 समय 12:30 बजे दोपहर
निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	दिनांक 02 / 06 / 2023 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 02 / 06 / 2023 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 02 / 06 / 2023 समय 4:00 बजे सायं तक
वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	योग्य फर्मों को पृथक से सूचित की जाएगी।

निविदा के नियम शर्तों या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ संवाद

(छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सोशल मीडिया में विज्ञापन हेतु सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के इम्पैनलमेंट हेतु रूचि की अभिव्यक्ति

नियम एवं शर्तें

पृष्ठभूमि :– छत्तीसगढ़ राज्य और देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सक्रिय है यह संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को समाचार, सूचना एवं मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोबाईल फोन एवं इंटरनेट की सर्वव्यापकता के कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पहुंच बढ़ गयी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों की बढ़ती संख्या के कारण यह प्लेटफॉर्म जनसंचार एवं आऊटरीच के सशक्त माध्यम बन गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ी जनसंख्या तक पहुंच आसान बनाते हैं। इससे कुशल और प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विज्ञापन जारी करने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के इम्पैनलमेंट हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किए जा रहे हैं।

नियम एवं शर्तें–

1. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का फेसबुक, गूगल, यू–ट्यूब, इंस्टाग्राम ट्विटर एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विज्ञापन हेतु योग्य एवं अनुभवी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसियों के इम्पैनलमेंट हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी से आशय सोशल मीडिया में विज्ञापन का कार्य करने वाली एजेंसी से है।
2. सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी द्वारा सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ संवाद के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसमें विज्ञापन की वास्तविक दर, विज्ञापन का संचालन, मॉनिटरिंग, एनालिसिस एवं रिपोर्टिंग शामिल होगा।
3. एजेंसी द्वारा सोशल मीडिया में प्रचार–प्रसार हेतु टेक्स्ट, फोटो विज्ञापन, वीडियो विज्ञापन, Corousel से विज्ञापन unskippable में वीडियो विज्ञापन, संग्रह विज्ञापन आदि के लिए छत्तीसगढ़ संवाद को कंटेन्ट के संबंध में मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा।
4. सोशल मीडिया में कैम्पेन विभिन्न पैरामीटर पर जारी किये जा सकेंगे। प्रमुख पैरामीटर निम्नानुसार हैं– impression की संख्या, click की संख्या, view की संख्या, followers की संख्या, engagement की संख्या तथा अन्य पैरामीटर।
5. सोशल मीडिया में विज्ञापन की दर निरंतर गतिशील होने के कारण इंपैनलमेंट के पश्चात् निश्चित साईज के फोटो विज्ञापन, निश्चित अवधि के वीडियो विज्ञापन, निश्चित शब्दों के टेक्स्ट विज्ञापन आदि के लिए इम्पैनल्ड फर्मों से सोशल मीडिया (फेसबुक, टिवट्र, गुगल एड, इंस्टाग्राम आदि) में विज्ञापन हेतु तात्कालिक तौर पर बिंदु क्रमांक–04 में उल्लेखित पैरामीटर के आधार पर ऑनलाइन दर मंगाए जाएंगे। इंपैनल्ड एजेंसी में से न्यूनतम दर वाले सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को कार्य दिये जाने पर विचार किया जाएगा।
6. सोशल मीडिया में टेक्स्ट, फोटो विज्ञापन, वीडियो विज्ञापन, Corousel विज्ञापन, unskippable वीडियो विज्ञापन, संग्रह विज्ञापन आदि जारी किए जाएंगे।

7. इंपैनल्ड एजेंसी द्वारा कार्य निष्पादन रिपोर्ट 50 रूपये के स्टॉम्प में शपथपूर्वक प्रस्तुत किया जायेगा। एजेंसी द्वारा प्रपत्र में कार्य व दिनांकवार क्रियान्वित गतिविधि की संख्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ संवाद में कम्प्यूटर एवं आईटी विशेषज्ञों द्वारा कार्य निष्पादन रिपोर्ट का सत्यापन किया जाएगा।

8. सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी द्वारा भुगतान के लिए कोई भी दावा गलत जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी।

9. एजेंसी के पास सोशल मीडिया फेसबुक, गूगल, यू–ट्यूब, इंस्टाग्राम आदि प्लेटफार्म में विभागों के शासकीय विज्ञापन जारी करने का अनुभव होना अनिवार्य है, केन्द्रीय एवं राज्य शासन के मंत्रालय एवं विभागों से जारी साक्ष्य हेतु कम से कम 05 जारी कार्यादेशों/कार्य संपादन प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करना होगा। स्थानीय निकायों के द्वारा जारी किए गए कार्यादेश मान्य नहीं किए जाएंगे।

10. एजेंसी को रूचि की अभिव्यक्ति आवेदन के साथ निविदा शुल्क रू. 2,360/– एवं अमानत राशि रू. 1,00,000/– (Earnest Money), छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति ऑनलाईन टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :–

Account Name	:	**Chhattisgarh Samvad**
Bank Name	:	**Axis Bank Ltd.**
Branch Name	:	**Pandri, Raipur (C.G.)**
Saving Account No.	:	**139010100021669**
IFSC Code No.	:	**UTIB0000139**

बिना निविदा शुल्क एवं अमानत राशि (Earnest Money) के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अनुबंध समाप्ती पर उक्त राशि (आवश्यक कटौती के उपरांत) वापसी योग्य होगी।

11. संबंधित विभाग से देयकों का भुगतान छत्तीसगढ़ संवाद को प्राप्त होने के बाद ही एजेंसी के देयकों का भुगतान किया जायेगा। कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। परन्तु एजेंसी को जी.एस.टी. अधिनियम के तहत नियत तिथि के अंदर जी.एस.टी. भुगतान कर जी.एस.टी. रिटर्न जमा करना होगा।

12. ऑनलाईन रूचि की अभिव्यक्ति आवेदन प्रपत्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट **http://samvad.cg.nic.in/** के माध्यम से ऑनलाईन ही जमा किया जाना है। निविदा के नियम–शर्तों या अन्य किसी प्रकार का संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

13. यह पंजीकरण (इम्पैनलमेंट) निविदा लागू होने की तिथि से आगामी 01 वर्ष तक के लिए होगी। इम्पैनलमेंट अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

14. एजेंसी को छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत जीएसटी पंजीयन प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, मार्च 2023 के GST- R 3B, Assessment Year 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के जमा आयकर रिटर्न के Acknowledgement की प्रतियां प्रस्तुत करना होगा।

15. सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हेतु निविदाकार फर्म/एजेंसी का छत्तीसगढ़ राज्य में जीएसटी पंजीयन होना अनिवार्य है। साक्ष्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत जीएसटी पंजीयन की प्रति/ARN की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इम्पैनलमेंट के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत जीएसटी पंजीयन की प्रति उपलब्ध कराना होगा।

16. सी.ए. द्वारा सत्यापित सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे–फेसबुक, टिवटर, गुगल एड, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि में विज्ञापन का वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 का न्यूनतम 50 लाख रूपये के औसत टर्नओव्हर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। सी.ए. द्वारा सत्यापित एवं UDIN अंकित टर्नओव्हर प्रमाण–पत्र में उक्त कार्यों का टर्नओव्हर उल्लेखित होना अनिवार्य है। टर्नओव्हर में उक्त के अलावा अन्य किसी कार्यों के टर्न ओव्हर को मान्य नहीं किया जायेगा।

17. विज्ञापन की डिजाईन, स्पॉट एवं क्रियेटिव उपलब्ध कराने के बाद संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्म में कार्यादेश में उल्लेखित समयावधि में लक्ष्य हासिल करना होगा।

18. कार्यादेश में उल्लेखित समयावधि में कम से कम 80 प्रतिशत कार्य लक्ष्य हासिल नहीं करने वाली संस्था को अगली 1 (एक) बिड में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा एवं संपादित कार्य लागत में से निम्नानुसार पेनाल्टी कटौती कर संबंधित फर्म के देयक/अमानत राशि में समायोजन किया जाएगा :–

(1) कार्यादेश में उल्लेखित समयावधि में 80 प्रतिशत से कम से 70 प्रतिशत तक कार्य लक्ष्य हासिल करने की स्थिति में संपादित कार्य लागत का 15 प्रतिशत कटौती की जाएगी।

(2) कार्यादेश में उल्लेखित समयावधि में 70 प्रतिशत से कम से 60 प्रतिशत तक कार्य लक्ष्य हासिल करने की स्थिति में संपादित कार्य लागत का 20 प्रतिशत कटौती की जाएगी।

(3) कार्यादेश में उल्लेखित समयावधि में 60 प्रतिशत से कम से 50 प्रतिशत तक कार्य लक्ष्य हासिल करने की स्थिति में संपादित कार्य लागत का 25 प्रतिशत कटौती की जाएगी।

(3) कार्यादेश में उल्लेखित समयावधि में 50 प्रतिशत से कम कार्य लक्ष्य हासिल करने की स्थिति में संबंधित फर्म को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।

19. इम्पैनलमेंट एजेंसी द्वारा ही कार्य किया जाएगा। पार्टनरशिप या किसी अन्य एजेंसी से कार्य कराए जाने पर देयक स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. कार्य के सत्यापन हेतु कार्य एजेंसी द्वारा फेसबुक, डैशबोर्ड का स्क्रीन शॉट एवं इनसाईट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा।

21. सूचीबध्द (इम्पैनल्ड) फर्मों को कार्य आबंटन का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

22. इम्पैनलमेंट में चयन किया जाना कार्य आबंटन के लिए बंधनकारी नहीं होगा। इम्पैनलमेंट किए जाने का अर्थ कार्यादेश देने की प्रतिबद्धता नहीं होगी।

23. निविदा स्वीकृत अथवा निरस्त करने एवं निविदा के नियम शर्तों को शिथिल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। निविदा प्रक्रिया के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन हित में आवश्यकतानुसार शर्त निर्धारित किया जा सकता है, जो कि निविदाकर्ता को मान्य करना होगा।

24. एजेंसी भारत सरकार/राज्य सरकार/या अन्य किसी शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थान की काली सूची में न हों। यदि वह आगे कभी निलंबित/काली सूची में हुआ तो इसकी सूचना तीन दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ संवाद को देगा।

25. एजेंसी द्वारा सोशल मीडिया माध्यमों के संचालन में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों, नियमों, प्रचलित एवं भविष्य में निर्मित होने वाले कानूनों का पालन करेगा।

26. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं।

27. किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर होगा।

28. **आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):–** किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा)

घोषणा पत्र

मैं .... संस्था .... छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी रूचि की अभिव्यक्ति के नियम एवं शर्तों का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। हमारे द्वारा सभी देय कर, जीसटी का भुगतान किया गया है। हमारे द्वारा प्रस्तुत आवेदन/रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव में प्रस्तुत कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या गलत पायी जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे अथवा संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जाएगी। हमारे द्वारा जमा अमानत राशि को छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा राजसात (Forfited) की जा सकती है। छत्तीसगढ़ संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें हमें स्वीकार है।

स्थान–
दिनांक–

हस्ताक्षर
पुरा नाम एवं पता
संस्था का नाम सील